HRA En USIUSIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287। No. 287। नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2013

(आय-कर)

का.आ. 309(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (22ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचक न्यासों के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : —

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- (3) स्कीम, अधिनियम की धारा 2 के खंड (22ककक) के अधीन किसी निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के \cdot लिए लागू होगी ।
- 2. स्कीम के उद्देश्य- कोई ऐसा निर्वाचक न्यास, जो स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त करेगा और उसी को राजनीतिक दलों में वितरित करेगा, के अनुमोदन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ।
- 3. परिभाषाएं- इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

- (ख) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है :
- (ग) "रकीम" से निर्वाचक न्यास स्कीम, 2012 अभिप्रेत है ; और
- (घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।
- 4. पात्रता- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए रिजस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जो निम्नलिखित सभी शर्तों का समाधान कर रही है, किसी निर्वाचक न्यास के रूप में अनुमोदन के लिए कोई आवेदन करने के लिए पात्र होगी, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है ;
 - (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए रिजस्ट्रीकृत कंपनी के नाम में वाक्यांश "निर्वाचक न्यास" सम्मिलित होगा ;
 - (ग) निर्वाचक न्यास का एकमात्र उद्देश्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल को इसके द्वारा प्राप्त अभिदाय वितरित करना है ; और
 - (घ) निर्वाचक न्यास के पास स्थायी लेखा संख्यांक होगा ।
- 5. अनुमोदन के लिए प्रक्रिया- (1) निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात :--
 - (क) अधिनियम की धारा 2 के खंड (22ककक) के अधीन अनुमोदन के लिए कोई आवेदन प्ररूप क में दो प्रतियों में उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, से पूर्व सुसंगत वर्ष की 31 जुलाई को या उसके पूर्व आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, आयकर आयुक्त या निदेशक, आय-कर को किया जाएगा;
 - (ख) आवेदक, मामले पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर को दो प्रतियों में आवेदन प्ररूप की प्रस्तुती के साक्ष्य देने वाली अभिरवीकृति प्राप्ति के साथ सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन की एक प्रति भेजेगा ;
 - (ग) यदि प्ररूप क में कोई त्रुटि देखी जाती है या उसमें निर्दिष्ट कोई दस्तावेज इसके साथ संलग्न नहीं है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर अपने कार्यालय में आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदक को त्रुटि संसूचित करेगा;

- (घ) आवेदक ऐसी संसूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के मीतर, जो बढ़ाई जा सके, जिसमें आवेदन इस निमित्त किया गया है, त्रुटि को हटाएगा तथापि त्रुटि के हटाए जाने के लिए कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी;
- (ड) यदि आवेदक, इस प्रकार अनुज्ञात अवधि के भीतर त्रुटि के हटाए जाने में असफल रहता है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर अपनी सिफारिश सदस्य (आय-कर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन अविधिमान्य के रूप में माने जाने के लिए भेजेगा;
- (च) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो वह आवेदन को अविधिमान्य के रूप में माने जाने के लिए एक आदेश पारित कर सकेगा ;
- (छ) यदि आवेदन प्ररूप सभी प्रकार से पूर्ण है तो यथास्थिति, आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर ऐसी जांच कर सकेगा जो निर्वाचक न्यास की वास्तविकता के बारे में आवश्यक समझी जा सके और आवेदन के अनुमोदन की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए सदस्य (आय-कर) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजेगा;
- (ज) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उपखंड (छ) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर आवेदक, किसी प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज या सूचना मांग सकेगा जो वह आवश्यक समझे और इस संबंध में कोई और जांच संचालित करवाएगा;
- (झ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने कब्जे में सभी जानकारी और संचालित जांच के परिणाम, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचक न्यास का अनुमोदन मंजूर करेगा या आवेदन अरवीकृत कर देगा ;
- (ञ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किन्हीं शर्तों को भी अधिरोपित कर सकेगा जिसके अध्यधीन अनुमोदन विधिमान्य होगा,;
- (ट) अविधिमान्यता के रूप में आवेदन की अस्वीकृति करने वाला या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने वाला कोई आदेश, आवेदक को बिना सुने जाने का अवसर दिए बिना और उसे लिखित में कारण . लेखबद्ध किए बिना पारित नहीं किया जाएगा ;

- (ठ) अनुमोदन या अरवीकृति का आदेश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्ररूप, सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय में आवेदक से प्राप्त किया गया था, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा ;
- (ड) उपखंड (ठ) में निर्दिष्ट छह मास की परिसीमा की अविध में, यथास्थिति आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर द्वारा खंड (ग) के अधीन त्रुटि की संसूचना की तारीख की आरंभ की अविध से उस तारीख तक जिसको आवेदक ऐसी त्रुटि हटाता है, अपवर्जित होगी;
- (ढं) आवेदन की अविधिमान्यता या अस्वीकृति या अनुमोदन के प्रत्याहरण के आदेश की एक प्रति आवेदक, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी और यथास्थिति, आय-कर आंयुक्त या निदेशक आय-कर को भेजी जाएगी;
- (ण) अनुमोदन उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है तथा और अवधि के लिए, जो तीन निर्धारण वर्ष से अधिक न हों, जिसे ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट किया जा सके, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
- (2) प्ररूप क में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के रिजस्ट्रीकरण का साक्ष्य देने वाले प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति ;
 - (ख) ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक प्रमाणित प्रति ;
 - (ग) निर्वाचक न्यास और इसके सदस्यों का पूरा नाम, स्थायी लेखा संख्यांक और पता (जिसके अंतर्गत इसकी कार्यपालक समिति के सदस्य, शासी समिति या निदेशक बोर्ड भी है) ;
 - (घ) कंपनी की आरंभिक शेयर पूंजी और इसके स्रोत ;
 - (ङ) हिताधिकारियों के ब्यौरे, यदि उपलब्ध हैं ;
 - (च) शपथपत्र के रूप में यह कथन करते हुए कि प्राप्तियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन केवल रिजरट्रीकृत राजनीतिक दलों को ही वितरित की जाएंगी, एक वचनबंध ; और
 - (छ) अंतिम एक, दो या तीन वर्ष, के लिए आवेदन के लेखाओं की प्रति, जैसा भी लागू हो !

- (3) मंजूर किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप, शेयर धारकों में कोई परिवर्तन, परिवर्तन के तीस दिन के भीतर बोर्ड को संसूचित किया जाएगा ।
- 6. अनुमोदन के लिए मानदंड- किसी निर्वाचक न्यास पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा यदि यह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कोई रिजस्ट्रीकृत कंपनी, जो स्कीम के पैरा 4 में निर्दिष्ट शर्तों का समाधान करती है ;
 - (ख) निर्वाचक न्यास का उद्देश्य किसी लाभ का अर्जन करना नहीं होगा या अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपने सदस्यों, अभिदायकर्ताओं या किसी व्यक्ति या नियमों के नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा नहीं पहुंचाएगा ;
 - (ग) इसने नियम 17गक के अनुसार अभिदायकर्ता से प्राप्तियों को अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं ; और
 - (घ) निर्वाचक न्यास के कार्यों के लिए नियमों के नियम 17गक के उपनियम (2) से उपनियम
 - (15) में अंतर्विष्ट अनुबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत कंपनी के संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित है।
- 7. अनुमोदन का नवीकरण- (1) अनुमोदन उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष और तीन निर्धारण वर्ष से अनिधक और अविध के लिए, जो अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जा सके, आवेदन विधिमान्य होगा।
- (2) निर्वाचक न्यास अंतिम निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अनुमोदन मूल रूप से मंजूर किया गया है, से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुमोदन का ऐसा नवीकरण उसी रीति में आवेदन की परीक्षा करने के बाद मंजूर किया जा सकेगा जो इस स्कीम में अनुमोदन के लिए अधिकथित है।
- 8. अनुमोदन का प्रत्याहरण- (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इस स्कीम के अधीन मंजूर किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्वाचक न्यास ने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं या इसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या उन्हें इस स्कीम या नियमों के नियम 17गक के 450 दिशाउ-2

उपबंधों के अधीन या मंजूर किए गए अनुमोदन में अधिरोपित किन्हीं अन्य शर्त के अधीन अधिकथित किसी अन्य शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

- (2) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या निर्वाचक न्यास, अनुमोदन के पश्चात् नियमों के नियम 17गक के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जानकारी या दस्तावेज मांग सकेगा जो वह निर्वाचक न्यास से ठीक समझे या इस संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अन्य अधिकरण से जांच संचालित करवा सकेगा!
- (3) यदि आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर का यह समाधान हो जाता है कि कोई अनुमोदित निर्वाचक न्यास इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों या उन शर्तों को, जिसके अधीन अनुमोदन इसे मंजूर किया गया था, पूरा नहीं कर रहा है या नियम 17गक के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वह समुचित जांच करने के पश्चात् इस संबंध केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और बोर्ड रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
- (4) अनुमोदन के प्रत्याहरण लिए कोई आदेश निर्वाचक न्यास के सुने जाने के अवसर आदेश दिए जाने के पश्चात् ही पारित किया जाएगा और अनुमोदन के प्रत्याहरण के लिए कारण लेखबद्ध किया जाएगा।
- (5) अनुमोदन की वापसी के आदेश की एक प्रति आवेदक, निर्धारण अधिकारी और यथास्थिति, आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर को भेजी जाएगी ।

प्ररूप क

निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 के अधीन किसी निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली

Ψ̈́,.	• • • • • •	 .				(न	म)							(पदार्ग	भिधान)		की
ओ	र से	जो	कि	कंपनी	अधिनियम,	1956	की	धारा	25	के	प्रयोजनों	के	लिए	एक	रजिस्ट्रीकृत	कंपनी	₹,

निर्वाचक न्यास स्कीम, 2012 के अधीन किसी निर्वाच	क न्यास के र	रूप में कंपनी	अधिनियम की	ं उक्त धा
25 के अनुमोदन के लिए तदनुसार आवेदन करता हूं।		٠		

\sim	000				
निम्नलिखित	विभाष्ट्रिया	टयक	ग्राधा	ਸਤਕਰ	₩.
	141711-041	51141	CHA	жда	₽-

(1) आवेदक का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:
(2) स्थायी लेखा संख्यांक	:
(3) निर्वाचक न्यास का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:

- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख
- (5) सदस्यों के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक (जिसमें इसके अंतर्गत कार्यपालक समिति, शासी समिति या निदेशक बोर्ड के सदस्य भी सम्मिलित हैं)
- (6) मैं निम्नलिखित दस्तावेजों कों भी संलग्न करता हूं :
- (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य देने वाले प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति ;
- (ख) संगम ज्ञापन और ज्ञापन की प्रमाणित प्रति :
- (ग) शेयर धारकों के पूरे नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक ;
- (घ) कंपनी की आरंभिक शेयर पूंजी और इसके स्रोत ;
- (ड) हिताधिकारियों के ब्यौरे, यदि उपलब्ध हैं ;
- (च) अभिदायकर्ताओं के ब्यौरे, यदि कोई हों ;
- (छ) शपथ पत्र के रूप में यह कथन करते हुए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल को ही प्राप्तियां वितरित की जाएंगी, एक वचन बंध ; और
- (ज) अंतिम एक/दो/तीन वर्षों के लिए आवेदक की लेखाओं की प्रतियां, जो लागू हों ।

सत्यापन

- (क) ऊपर दी गईं विशिष्टियां और संलग्न दस्तावेज सत्य और सही हैं।
- (ख) निर्वाचक न्यासों के कृत्यों से संबंधित नियमों के नियम 17गक में अंतर्विष्ट अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट रूप से कंपनी के संगम ज्ञापन में सम्मिलित की गई हैं और उनका अनुपालन किया जाएगा ।

- (ग) मैं, स्कीम, संबद्ध नियमों और विहित शर्तों, जिसके अध्यधीन अनुमोदन मंजूर किया गया है, यदि कोई है, के सभी उपबंधों का पालन करूंगा और समझ लिया है कि ऐसा करने में चूक होने की दशा में अनुमोदन वापस लिए जाने के लिए दायी होगा
- (घ) मैं, निर्वाचक न्यास या शेयर धारकों या संगम ज्ञापन के किसी खंड के किसी उद्देश्य और निबंधनों में कोई भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर संसूचित करने के लिए वचनबंध हूं।

तारीख	हस्ताक्षर
,	•
पदाभिधान	
पता	

[अधिसूचना सं. 09/2013/फा. सं. 142/20/2012-टीपीएल] रमन चोपड़ा, निदेशक (टीपीएल-II)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2013

(INCOME-TAX)

- **S.O. 309(E).** In exercise of the powers conferred by clause (22AAA) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following scheme for approval of electoral trusts, namely:-
- 1. Short title, commencement and application. (1) This Scheme may be called the Electoral Trusts Scheme, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) The scheme shall apply for the approval of any electoral trust under clause (22AAA) of section 2 of the Act.
- **2. Objectives of the Scheme**. To lay down a procedure for grant of approval to an electoral trust which will receive voluntary contributions and distribute the same to the political parties.

- 3. **Definitions**. In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (b)"Rules" means the Income-tax Rules, 1962;
 - (c) "Scheme" means the Electoral Trusts Scheme, 2012; and
 - (d) the words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- **4. Eligibility.** A company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) satisfying all of the following conditions shall be eligible to make an application for approval as an electoral trust, namely:
 - a) the company is registered on or after the 1st day of April, 2012 for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - b) the name of the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall include the phrase "electoral trust";
 - c) the sole object of the electoral trust is to distribute the contributions received by it to the political party, registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951); and
 - d) the electoral trust shall have a permanent account number.
- 5. **Procedure for approval**.— (1) The procedure for approval of an electoral trust shall be as follows, namely:
 - a) the application for approval under clause (22AAA) of section 2 of the Act shall be made in duplicate in FORM A, on or before the 31st day of July of the previous year relevant to the assessment year for which the approval is sought, to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the applicant;

458 4713-3

- b) the applicant shall also send a copy of the application to the Member (Incometax), Central Board of Direct Taxes accompanied by the acknowledgement receipt evidencing submission of application form in duplicate to the Commissioner of Incometax or Director of Incometax, as the case may be, having jurisdiction over the case;
- c) if any defect is noticed in FORM A or any document referred to therein is not attached with it, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall intimate the defect to the applicant within thirty days from the date of receipt of the application form in his office;
- d) the applicant shall remove the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, may be extended. However, the total period for removal of defect shall not exceed thirty days;
- e) if the applicant fails to remove the defect within the period so allowed, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall send his recommendation to the Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes for treating the application as invalid;
- f) the Central Board of Direct Taxes, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid;
- g) if the application form is complete in all respects, the Commissioner of Incometax or the Director of Incometax, as the case may be, may make such inquiry as he may consider necessary regarding the genuineness of the electoral trust and send a report to the Member (Incometax), Central Board of Direct Taxes for grant of approval or rejection of the application;
- h) the Central Board of Direct Taxes may, on receipt of the report referred to in subclause (g), call for such documents or information from the applicant, any authority or other person as it may consider necessary and get any further inquiry conducted in this regard;

- the Central Board of Direct Taxes shall, after considering all the information in its possession and the result of enquiry conducted, if any, grant approval to the electoral trust or reject the application;
- j) the Central Board of Direct Taxes may also impose any conditions, subject to which the approval shall be valid;
- k) no order treating the application as invalid or rejecting the application or withdrawing the approval shall be passed by the Central Board of Direct Taxes without giving the applicant an opportunity of being heard and without recording the reasons for the same in writing;
- the order of approval or rejection shall be passed by the Central Board of Direct Taxes within six months from the end of the month in which the application form was received from the applicant in the office of Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes;
- m) the period of limitation of six months referred to in sub-clause (l) shall exclude the period beginning from the date of the intimation of the defect under clause (c) by the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, to the date the applicant removes such defect;
- n) a copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be sent to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be;
- o) the approval shall be valid for the assessment year relevant to the financial year in which such application has been made and for a further period, not exceeding three assessment years, as may be specified in such approval.
- (2) The application in FORM A shall be accompanied by the following documents, namely:-

- (a) an attested copy of the certificate evidencing the registration of the company for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (b) a certified copy of the memorandum and articles of association;
- (c) complete name, permanent account number and address of the electoral trust and its members (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors);
- (d) initial share capital of the company and its source;
- (e) details of beneficiaries, if available;
- (f) an undertaking in the form of an affidavit stating that the receipts shall be distributed only to the political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); and
- (g) copy of accounts of the applicant for the last one, two or three years, as may be applicable.
- (3) Any change in the shareholders, subsequent to the approval granted under the Scheme, shall be intimated to the Board within thirty days of the change.
- **6. Criteria for approval**. An electoral trust shall be considered for approval if it fulfills all of the following conditions, namely:
 - (a) the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), which satisfies the conditions referred to in paragraph 4 of this Scheme;
 - (b) the object of the electoral trust shall not be to earn any profit or pass any direct or indirect benefit to its members or contributors, or to any person referred to in sub-section (3) of section 13 of the Act, or any person referred to in sub-rule 10 of rule 17CA of the Rules;
 - (c) it has made adequate arrangement for recording the receipts from the contributors in accordance with rule 17CA; and

- (d) the stipulations contained in sub-rules (2) to (15) of rule 17CA of the Rules for the functioning of an electoral trust are specifically included in the articles of association of the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
- 7. **Renewal of approval**.-(1) The approval shall be valid for the assessment year relevant to the financial year in which such application has been made and for a further period, not exceeding three assessment years, as may be specified in the approval.
- (2) The electoral trust may apply for renewal of approval at any time during the financial year immediately preceding the last assessment year, for which the approval has originally been granted, and such renewal of approval may be granted after examining the application in the same manner as laid out for approval in this Scheme.
- 8. Withdrawal of approval.- (1) The Central Board of Direct Taxes may withdraw the approval granted under this Scheme if it is satisfied that the electoral trust has ceased its activities or its activities are not genuine or are not carried out in accordance with all or any of the conditions laid down under this Scheme or the provisions of rule 17CA of the Rules, or any other condition imposed in the approval granted.
- (2) In order to ascertain whether an electoral trust, after its approval, is functioning in accordance with the provisions of rule 17CA of the Rules, the Central Board of Direct Taxes may call for information or documents as it may deem fit from the electoral trust or may get an enquiry conducted in this regard by an income-tax authority or any other agency.
- (3) If the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax is satisfied that an approved electoral trust is not fulfilling any of the conditions specified under this Scheme or the conditions subject to which approval was granted to it or does

not function in accordance with Rule 17CA, he may, after making appropriate enquiries, furnish a report to the Central Board of Direct Taxes in this regard and the Board may take such action on the report as it may deem fit.

- (4) An order for withdrawal of the approval shall be passed after giving the electoral trust an opportunity of being heard, and shall record the reasons in writing for the withdrawal of approval.
- (5) A copy of the order withdrawing the approval shall be sent to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be.

FORM A

Application for approval of an electoral trust under the

Electoral Trusts Scheme, 2013

То	
Member (Income-tax)	
Central Board of Direct Taxes	
New Delhi	
I, (Name)	
Designation	panies Act, 1956
The following particulars are furnished herewith	
1) Name and Address of the applicant in full [In BLOCK letters]	:
2) Permanent Account Number	;
3) Name and Address of the electoral trust in full [In BLOCK letters]	:

4)	Date of Registration as a Company for the purposes of Section 25 of : the Companies Act, 1956					
5)	Name(s), address(es) and Permanent Account Number of members: (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors)					
6)	I also enclose	the following documents:				
	a)	An attested copy of the certificate evidencing registration of the company for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956				
	b)	certified copy of the articles of association and memorandum;				
	c)	complete name, address and permanent account number of the shareholders;				
	d)	initial share capital of the company and its source;				
	e)	details of beneficiaries, if available;				
	f)	details of contributors, if any;				
	g)	an undertaking in the form of an affidavit stating that the receipts shall be distributed only to political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951; and				
	h)	copies of the accounts of the applicant for the last one/two/three years as applicable.				

Verification

a) The particulars given above and in the enclosed documents are true and correct.

b) The requirements contained in the rule 17CA of the Rules relating to the functioning of Electoral Trusts have been specifically included in the Articles of Association of the Company and shall be complied with.

c) I shall comply with all the provisions of the Scheme, the concerned rules and all the prescribed conditions subject to which approval, if any, shall be granted and have understood that in case of any failure to do so, the approval is liable to be withdrawn.

d) I undertake to communicate forthwith any alteration in the object and terms of

the electoral trust or the share association within thirty days of s	eholders or in any clause of the articles of
Date :	Signature
Designation	<u> </u>
Address	
,	
	[Notification No. 09/2013/F. No. 142/20/2012-TPL]
	RAMAN CHOPRA, Director (TPL-II)